



क्षेत्रीय कार्यालय,
म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,

स्कीम नं० 5, प्लॉट नं.455/456, विजयनगर, जबलपुर-482002

Phone & Fex-0761-4042780 E-Mail romppcbjbp@rediffmail.com



कमांक /क्षे.का/प्रनिबो/2018,

जबलपुर, दिनांक

कार्यालय आदेश

क्षेत्रीय कार्यालय म०प्र०प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड जबलपुर द्वारा गठित चयन समिति की अनुसंशा अनुसार सुश्री निविता तिवारी पिता श्री एन.के.तिवारी को केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा प्रायोजित "राष्ट्रीय परिवेशीय वायु गुणवत्ता प्रबोधन कार्यक्रम" (NAMP) के तहत जूनियर साईटिफिक असिस्टेंट (JSA) के पद पर आदेश जारी होने के दिनांक से 31.12.2018 तक की अवधि हेतु अनुबंध पर प्रतिमाह रूपये 18000=00 (रूपये अठ्ठारह हजार प्रतिमाह मात्र) जिसमें 13.5 प्रतिशत सीपीएफ में नियोक्ता का अंशदान शामिल है के स्थिर वेतन (Fixd Pay) की दर पर निम्नलिखित शर्तों के तहत अनुबंधित किया जाता है।

1. चयनित उम्मीदवार का चयन पूर्णतः अस्थायी है। यह बोर्ड के किसी पद पर नियुक्ति नहीं है, बल्कि प्रोजेक्ट के अंतर्गत सीमित अवधि के कार्य हेतु अनुबंध है।
2. प्रोजेक्ट अवधि पूर्ण होने पर या कार्य संतोषजनक न होने पर नियुक्त कर्मचारी की सेवा बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त हो जावेगी।
3. इस आदेश के जारी होने के दिनांक से 07 दिन की समयावधि में कार्यभार ग्रहण करना होगा, उपरोक्त के अभाव में नियुक्ति आदेश स्वतः निरस्त माना जावेगा।
4. NAMP के नियत स्थलों पर कार्य करना होगा।
5. चयनित उम्मीदवार को इस आशय का रू.100=00 के शपथ पत्र पर यह अनुबंध करना होगा कि यह अनुबंध पूर्ण रूप से अस्थायी है। सेवा बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त की जा सकेगी। न्यायालय में इस संबंध में कोई वाद दायर नहीं करेगा। कार्य ग्रहण करने के साथ ही अनुबंध पत्र देना होगा, इसके बाद ही वेतन का भुगतान प्राप्त होगा।
6. अनुबंध के निस्पादन पर ही इन्हे कार्य पर कार्यग्रहण करने की पात्रता होगी।
7. पदभार ग्रहण करने के दिनांक से एक माह के भीतर सिविल सर्जन का स्वास्थ्य संबंधी उपयुक्तता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा।
8. बोर्ड मुख्यालय के पत्र कमांक 2656 दिनांक 29.12.2017 में वर्णित नियमों/शर्तों के अनुरूप यह अनुबंध पत्र जारी किया गया है। अतएव उक्त पत्र में वर्णित समस्त नियम एवं शर्तें मान्य होंगी।

(एस.एन. द्विवेदी)

क्षेत्रीय अधिकारी

पृ क- 730 /क्षे.का/प्रनिबो/2018,

जबलपुर, दिनांक 10/6/18

प्रतिलिपि:-

1. सदस्य सचिव म०प्र०प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड भोपाल की ओर सूचनार्थ।
2. मुख्य वैज्ञानिक अधिकारी म०प्र०प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड भोपाल की ओर सूचनार्थ।
3. प्रशासकीय अधिकारी, म०प्र० प्रदूषण नियंत्रण भोपाल की ओर सूचनार्थ।
4. प्रभारी अधिकारी आई.टी.शाखा म०प्र०प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड भोपाल की ओर सूचनार्थ।
5. लेखा शाखा म०प्र०प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड जबलपुर की ओर सूचनार्थ।
6. सुश्री निविता तिवारी आत्मजा श्री एन.के.तिवारी, H.N.A-4, SGTPS, MPPGCT, Prakash Nagar, Birsingpur Pali, Distt. Umariya (M.P.) की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

(एस.एन. द्विवेदी)

क्षेत्रीय अधिकारी



क्षेत्रीय कार्यालय,
म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,

स्कीम नं० 5, प्लॉट नं. 455/456, विजयनगर, जबलपुर-482002

Phone & Fax-0761-4042780 E-Mail romppcbjbp@rediffmail.com



कमांक-----/क्षे.का/प्रनिबो/2018,

जबलपुर, दिनांक-----

कार्यालय आदेश

क्षेत्रीय कार्यालय म०प्र०प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड जबलपुर द्वारा गठित चयन समिति की अनुसंशा अनुसार श्री राकेश दुबे पिता श्री सी. एल. दुबे को केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा प्रायोजित "राष्ट्रीय परिवेशीय वायु गुणवत्ता प्रबोधन कार्यक्रम" (NAMP) के तहत फील्ड असिस्टेंट (FA) के पद पर आदेश जारी होने के दिनांक से 31.12.2018 तक की अवधि हेतु अनुबंध पर प्रतिमाह रुपये 10000=00 (रुपये दस हजार प्रतिमाह मात्र) जिसमें 13.5 प्रतिशत सीपीएफ में नियोक्ता का अंशदान शामिल है के स्थिर वेतन (Fixd Pay) की दर पर निम्नलिखित शर्तों के तहत अनुबंधित किया जाता है।

1. चयनित उम्मीदवार का चयन पूर्णतः अस्थायी है। यह बोर्ड के किसी पद पर नियुक्ति नहीं है, बल्कि प्रोजेक्ट के अंतर्गत सीमित अवधि के कार्य हेतु अनुबंध है।
2. प्रोजेक्ट अवधि पूर्ण होने पर या कार्य संतोषजनक न होने पर नियुक्त कर्मचारी की सेवा बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त हो जावेगी।
3. इस आदेश के जारी होने के दिनांक से 07 दिन की समयावधि में कार्यभार ग्रहण करना होगा, उपरोक्त के अभाव में नियुक्ति आदेश स्वतः निरस्त माना जावेगा।
4. NAMP के नियत स्थलों पर कार्य करना होगा।
5. चयनित उम्मीदवार को इस आशय का रू.100=00 के शपथ पत्र पर यह अनुबंध करना होगा कि यह अनुबंध पूर्ण रूप से अस्थायी है। सेवा बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त की जा सकेगी। न्यायालय में इस संबंध में कोई वाद दायर नहीं करेगा। कार्य ग्रहण करने के साथ ही अनुबंध पत्र देना होगा, इसके बाद ही वेतन का भुगतान प्राप्त होगा।
6. अनुबंध के निस्पादन पर ही इन्हे कार्य पर कार्यग्रहण करने की पात्रता होगी।
7. पदभार ग्रहण करने के दिनांक से एक माह के भीतर सिविल सर्जन का स्वास्थ्य संबंधी उपयुक्तता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा।
8. बोर्ड मुख्यालय के पत्र कमांक 2656 दिनांक 29.12.2017 में वर्णित नियमों/शर्तों के अनुरूप यह अनुबंध पत्र जारी किया गया है। अतएव उक्त पत्र में वर्णित समस्त नियम एवं शर्तें मान्य होंगी।

(एस.एन. द्विवेदी)

क्षेत्रीय अधिकारी

पृ क-----732-----/क्षे.का/प्रनिबो/2018,

जबलपुर, दिनांक-----19/6/18

प्रतिलिपि:-

1. सदस्य सचिव म०प्र०प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड भोपाल की ओर सूचनार्थ।
2. मुख्य वैज्ञानिक अधिकारी म०प्र०प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड भोपाल की ओर सूचनार्थ।
3. प्रशासकीय अधिकारी, म०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड भोपाल की ओर सूचनार्थ।
- ✓ 4. प्रभारी अधिकारी आई.टी.शाखा म०प्र०प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड भोपाल की ओर सूचनार्थ।
5. लेखा शाखा म०प्र०प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड जबलपुर की ओर सूचनार्थ।
6. श्री राकेश दुबे पिता श्री सी.एल.दुबे, H.N.1324, Civil Line, RDVV, Pachpedi, Jabalpur (M.P.) की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

(एस.एन. द्विवेदी)


क्षेत्रीय अधिकारी



क्षेत्रीय कार्यालय,
म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,

स्कीम नं० 5, प्लॉट नं.455/456, विजयनगर, जबलपुर-482002

Phone & Fax-0761-4042780 E-Mail romppcbjbp@rediffmail.com



क्रमांक-----/क्षे.का/प्रनिबो/2018,

जबलपुर, दिनांक-----

कार्यालय आदेश

क्षेत्रीय कार्यालय म०प्र०प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड जबलपुर द्वारा गठित चयन समिति की अनुसंशा अनुसार श्री चंदन सिंह पिता श्री गुल्लू सिंह को केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा प्रायोजित "राष्ट्रीय परिवेशीय वायु गुणवत्ता प्रबोधन कार्यक्रम" (NAMP) के तहत फील्ड असिस्टेंट (FA) के पद पर आदेश जारी होने के दिनांक से 31.12.2018 तक की अवधि हेतु अनुबंध पर प्रतिमाह रूपये 10000=00 (रूपये दस हजार प्रतिमाह मात्र) जिसमें 13.5 प्रतिशत सीपीएफ में नियोक्ता का अंशदान शामिल है के स्थिर वेतन (Fixd Pay) की दर पर निम्नलिखित शर्तों के तहत अनुबंधित किया जाता है।

1. चयनित उम्मीदवार का चयन पूर्णतः अस्थायी है। यह बोर्ड के किसी पद पर नियुक्ति नहीं है, बल्कि प्रोजेक्ट के अंतर्गत सीमित अवधि के कार्य हेतु अनुबंध है।
2. प्रोजेक्ट अवधि पूर्ण होने पर या कार्य संतोषजनक न होने पर नियुक्त कर्मचारी की सेवा बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त हो जावेगी।
3. इस आदेश के जारी होने के दिनांक से 07 दिन की समयावधि में कार्यभार ग्रहण करना होगा, उपरोक्त के अभाव में नियुक्ति आदेश स्वतः निरस्त माना जावेगा।
4. NAMP के नियत स्थलों पर कार्य करना होगा।
5. चयनित उम्मीदवार को इस आशय का रु.100=00 के शपथ पत्र पर यह अनुबंध करना होगा कि यह अनुबंध पूर्ण रूप से अस्थाई है। सेवा बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त की जा सकेगी। न्यायालय में इस संबंध में कोई वाद दायर नहीं करेगा। कार्य ग्रहण करने के साथ ही अनुबंध पत्र देना होगा, इसके बाद ही वेतन का भुगतान प्राप्त होगा।
6. अनुबंध के निस्पादन पर ही इन्हे कार्य पर कार्यग्रहण करने की पात्रता होगी।
7. पदभार ग्रहण करने के दिनांक से एक माह के भीतर सिविल सर्जन का स्वास्थ्य संबंधी उपयुक्तता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा।
8. बोर्ड मुख्यालय के पत्र क्रमांक 2656 दिनांक 29.12.2017 में वर्णित नियमों/शर्तों के अनुरूप यह अनुबंध पत्र जारी किया गया है। अतएव उक्त पत्र में वर्णित समस्त नियम एवं शर्तें मान्य होंगी।

(एस.एन. द्विवेदी)

क्षेत्रीय अधिकारी

पृ क-734-----/क्षे.का/प्रनिबो/2018,

जबलपुर, दिनांक-19/6/18

प्रतिलिपि:-

1. सदस्य सचिव म०प्र०प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड भोपाल की ओर सूचनार्थ।
2. मुख्य वैज्ञानिक अधिकारी म०प्र०प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड भोपाल की ओर सूचनार्थ
3. प्रशासकीय अधिकारी, म०प्र० प्रदूषण नियंत्रण भोपाल की ओर सूचनार्थ।
- ✓ 4. प्रभारी अधिकारी आई.टी.शाखा म०प्र०प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड भोपाल की ओर सूचनार्थ।
5. लेखा शाखा म०प्र०प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड जबलपुर की ओर सूचनार्थ।
6. श्री चंदन सिंह पिता श्री गुल्लू सिंह, ग्राम पोंडी, पोस्ट उदना, तहसील पाटन जिला जबलपुर (म.प्र.) की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

(एस.एन. द्विवेदी)

क्षेत्रीय अधिकारी